# न्यायालय, समाहर्त्ता–सह–जिलादण्डाधिकारी, खगड़िया

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–08 / 2017–2018

**राज्य बनाम छोटू कुमार उर्फ निगम कुँवर**

| आदेश की क्रम सं0 और तारीख<br>1. | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर<br>02. | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित<br>3. |
|---|---|---|
| 13.06.2017 | **आदेश**<br>बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा–58 के अंतर्गत प्रश्नगत वाद, खगड़िया थाना कांड सं०–222 / 2017, दिनांक–07.04.2017 के संदर्भ में प्राप्त पु.अ.नि., खगड़िया के अधिहरण प्रस्ताव दिनांक–09.04.2017 के आलोक में प्रारंभ की गई है। पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक–1442 / सी. आर., दिनांक–22.04.2017 द्वारा भी थानाध्यक्ष, खगड़िया के अधिहरण प्रस्ताव पर अनुशंसा सहित कार्रवाई प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया है।<br>थानाध्यक्ष, खगड़िया के अधिहरण प्रस्ताव में उल्लेख है कि संदर्भित प्राथमिकी से सम्बद्ध वाहन BR53B-4554 हुंडई कार हैं, जो दिनांक–07.04.2017 को अवैध रूप से 285 बोतल विदेशी शराब के ले जाने में प्रयुक्त की जा रही थी। उक्त वाहन को सुरक्षार्थ जप्त कर खगड़िया थाना परिसर में रखा गया है।<br>जप्ती सूची के अनुसार उक्त हुंडई कार से Royal Stag विदेशी शराब 375 ml का 240 बोतल एवं 750ml का 45 बोतल कुल 285 बोतल बरामद किया गया है। जप्ती सूची पर पु.अ. नि., खगड़िया के साथ संतोष कुमार, पिता–श्री शंकर पोद्दार एवं वरूण कुमार पिता–स्व0 विशेश्वर महतों का हस्ताक्षर अंकित है। जप्ती सूची की एक प्रति छोटू कुमार उर्फ निगम कुँवर को हस्तगत करा दिया गया है।<br>जिला परिवहन पदाधिकारी, लक्खीसराय द्वारा जप्त वाहन के बारे में उपलब्ध Screen Report प्राप्त हुआ है। प्राप्त Screen Report से स्पष्ट होता है कि जप्त वाहन संख्या–BR53B-4554 हुडई कार नहीं है उक्त संख्या का वाहन मोटर साईकिल है जिसका स्वामी कृष्णनंदन सिंह, पिता–सहदेव सिंह, ग्राम–नया टोला, बड़ी पोखर, लक्खीसराय है।<br>प्राप्त अधिहरण प्रस्ताव के आलोक में दैनिक जागरण एवं प्रभात खबर के दिनांक–04.06.2017 के संस्करण में प्रकाशित विज्ञापन के द्वारा भी प्रश्नगत हुंडई कार के स्वामी को उपस्थित होकर निर्धारित तिथि 08.06.2017 को समाहर्त्ता न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु निदेशित किया गया। वाहन स्वामी समाचार–पत्रों में विज्ञापन के प्रकाशन के बावजूद सुनवाई के प्रक्रम में भाग लेने हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए।<br>विपक्षी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया | |

| आदेश की क्रम सं0 और तारीख | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आ... कार्र... टिप्पणी ... |
|---|---|---|
| 1. | 02. | |

परन्तु वे जानबूझ कर प्रक्रिया को बाधित करने की दृष्टि से सुनवाई के प्रक्रम में उपस्थित नहीं हुए। उनकी अनुपस्थिति से स्पष्ट है कि वे न्यायालय की प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न कर तथा न्यायालय की प्रक्रिया का लम्बा कर अंतिम निर्णय से बचना चाहते हैं। विपक्षी को सुनवाई का और अधिक अवसर दिया जाना न्यायहित में नहीं है।

संदर्भित प्राथमिकी के साथ संलग्न जप्ती सूची तथा पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के प्रतिवेदनों से स्पष्ट है कि उक्त वाहन का उपयोग विपक्षी द्वारा ईरादतन शराब के कारोबार के लिए किया जा रहा था, जो वर्तमान में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम--2016 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध है तथा इसमें प्रयुक्त वाहन अधिहरण योग्य है।

सुनवाई के क्रम में विशेष लोक अभियोजक द्वारा इस कांड में विधिवत की गई जप्ती एवं प्रश्नगत वाहन से जप्त शराब की मात्रा का उल्लेख करते हुए प्रश्नगत वाहन को अधिनियम की धारा–58(2) के अंतर्गत अधिहरण योग्य बताया गया है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि सभी प्रतिवेदनों से यह स्पष्ट है कि उक्त वाहन शराब के कारोबार में संलिप्त था, जो संदर्भित अधिनियम अंतर्गत राज्य में पूर्णतः निसिद्ध होने के कारण संज्ञेय अपराध है।

बहस तथा अभिलेख के अवलोकन के आधार पर मैं संतुष्ट हूँ कि प्रश्नगत वाहन हुडई कार जिसका चेचिस नं0–MALCH51CR6MO1439 बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 के अंतर्गत अधिहरण किये जाने योग्य है। अतः निम्न आदेश दिया जाता है।

1. इस अपराध में प्रयुक्त वाहन हुडई कार जिसका चेचिस नं0–MALCH51CR6MO1439 है, जो जप्त कर खगड़िया थाना में रखा हुआ है, का बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा–58(2) के अंतर्गत अधिहरण किया जाता है। अधिहरण किया जाने वाला वाहन किसी भी ऋण–भार से मुक्त होगा। साथ–ही लोकहित में आदेश दिया जाता है कि इस अधिनियम की धारा–58(5) के अंतर्गत सार्वजनिक निलामी के माध्यम से इसकी बिक्री की जाय।
2. जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि थाना में जप्त वाहन हुडई कार जिसका चेचिस नं0–MALCH51CR6MO1439 का मोटरयान निरीक्षक, खगड़िया से मुआयना कराकर उसका मूल्यांकन प्रतिवेदन तीन दिनों के अंतर्गत समर्पित करेंगे।
3. सार्वजनिक निलामी की कार्रवाई उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया की देख–रेख मे की जायेगी और निलामी से प्राप्त धन–राशि सरकारी खजाने में विहित रीति से जमा की

| क्रम तारीख 1. | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02. | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3. |
|---|---|---|
| | जायेगी।<br>लेखापित एवं संशोधित<br><br>समाहर्त्ता,<br>खगड़िया<br><br>समाहर्त्ता,<br>खगड़िया | |